(१)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–06/2018–19

State Bank of India, SARB, Ranchi

बनाम्

Smt. Rupa Rani Singh & Oths.

–: आदेश :–

12.01.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, SARB, Ranchi, 4th floor, Ranchi Branch Building, Court Compound, Ranchi द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी 1. Smt. Rupa Rani Singh w/o Shri Nand Dulal Singh 2. Sri Kumar Roshan s/o Shri Nand Dulal Singh House No. 12, Plot No. 781 Chanakyapuri, Basant Vihar, Chira Chas, Bokaro के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों का अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष भारतीय स्टेट बैंक, SARB, Ranchi, 4th floor, Ranchi Branch Building, Court Compound, Ranchi की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Plot of Land with a building measuring 5.00 decimal located at Mouza Chas, Thana no. 30, Bokaro Plot No. 781, Khata no. 172, Sale Deed No. 7927 dated 28/12/2007) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 10,00,000 (दस लाख) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 & 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा दिनांक–17.01.2020 को बैंक से हुए समझौता पत्र को दाखिल करते हुए ऋण चुकाने के लिए दिनांक–31.03.2020 तक का समय की माँग की गई थी जो अब बीत चुकी है।

(10)

वर्णित परिस्थिति में प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, SARB, Ranchi, 4th floor, Ranchi Branch Building, Court Compound, Ranchi द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.25 16:51:18 +05:30
Location: 192.168.1.102